उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या:-07/2019/2485/80-1-2018-600(22)/2002 टी.सी.-।।

लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2019

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25, सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 03 का संशोधन **2.** **उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:-**

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
3. समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन - इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा, निदेशक मण्डी परिषद की सिफारिशों पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जायेगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट दो सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति का प्रयोग सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।	**3. समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन -** अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन, उस सम्भाग के उप निदेशक, प्रशासन /विपणन, जहॉ पर उक्त मण्डी स्थित हो, की सिफारिशों जो निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के माध्यम से प्राप्त हों, पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् और अधिनियम की धारा 13(2) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अभ्यर्थियों के नामों की छानबीन करने के पश्चात् राज्य

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक, उस कृषि वर्ष, जिसमें नामनिर्देशन पर विचार किया जा रहा हो, से ठीक पूर्ववर्ती कृषि वर्ष का अन्तिम दिनांक होगा।

नियम 05 का संशोधन

3. **उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,अर्थात:-**

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

5- मण्डी समिति की सदस्यता हेतु अर्हताएं- (1) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन मण्डी समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए या बने रहने के लिए तभी अर्ह होगा, जब-

(क) वह भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,

(ख) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित इलाके से स्थानीय निकाय या विधान सभा निर्वाचन के लिए पंजीकृत मतदाता हो,

(ग) वह स्वस्थचित्त हो,

(घ) वह अनुन्मोचित दिवालिया न हो,

(ङ) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के या राज्य के किसी मण्डी समिति के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो,

(च) वह सम्बन्धित जिला पंचायत का सदस्य हो, यदि नाम निर्देशन जिला पंचायत से किया जाना हो,

(छ) वह सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, यह नाम निर्देशन नगरीय स्थानीय निकाय से किया जाना हो,

(ज) वह सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय का सदस्य हो यदि नाम निर्देशन नगरीय स्थानीय निकाय से किया जाना हो,

(झ) वह सम्बन्धित सहकारी क्रय विक्रय समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य हो और सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने के

स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5- मण्डी समिति की सदस्यता हेतु अर्हताएं- (1) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन मण्डी समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए अर्ह होगा, यदि:-

(क) वह भारत का नागरिक हो ओर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,

(ख) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित मुहल्लों से विधान सभा निर्वाचन हेतु पंजीकृत मतदाता हो,

(ग) वह विकृतचित्त का न हो,

(घ) वह अनुमोदित दीवालिया न हो,

(ङ) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य की किसी मण्डी समिति के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो,

(च) वह मण्डी क्षेत्र का कृषक हो जो अपना उत्पाद विक्रय हेतु मण्डी स्थल को लाता हो और उक्त मण्डी स्थल में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और नाम निर्देशन के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम तीन कृषि वर्षो, के दौरान उच्चतम संचयी मूल्य का प्रपत्र-छः प्राप्त किया हो। उस जिला, जिसमें प्रधान मण्डी स्थल स्थित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे स्तर का न

http://shasanadesh.up.nic.in

लिए लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन सहकारी क्रय विक्रय समितियों से किया जाना हो।

(ञ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के भीतर करोबार करने वाला आढतियॉ हो और उसके लिए उसे अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन आढतियों से किया जाना हो

(ट) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाला व्यापारी हो और उसके लिए उसे अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन व्यापारियों में से किया जाना हो।

हो, के हस्ताक्षर से अधिनियम की धारा-13(2) के अधीन उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के कम से कम तीस कृषकों की प्रपत्र-6 के आधार पर अवरोही क्रम में उक्त मण्डी समिति में उनके नाम से आवक संचयी मूल्य सहित सूची, सात दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में आपत्तियॉ आमंत्रित करने हेतु तैयार कर प्रकाशित की जायेगी। आपत्तियॉ, यदि कोई हो, पर विनिश्चिय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात् अन्तिम सूची तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति, तभी की जायेगी यदि वह शपथ पत्र द्वारा अनुसमर्थित हो और वह ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो उक्त मण्डी क्षेत्र का निवासी हो तथा अन्तिम पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में उस मण्डी क्षेत्र के लाइसेंसधारी व्यापारी/आढ़तिया द्वारा जारी कम से कम एक प्रपत्र-छ: अपने नाम से प्राप्त किया हो। नाम निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी आपत्तियों पर विनिश्चय करने के लिए ऐसे साक्ष्य मंगा सकता है और इस पर विचार कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहॉ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता हेतु आवेदक होने से अस्वीकार करता है वहॉ हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित असहमति, सूची अन्तिम करने से पूर्व उक्त अधिकारी को संसूचित की जायेगी। ऐसी असहमति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए सूची से उसका नाम हटा देगा। यह प्रपत्र व अन्तिम सूचियॉ इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र दस-क में तैयार की जोयगी, या

(छ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाला एक व्यापारी हो और इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य लाइसेंस धारक हो, और जहाँ व्यापारियों में से नामनिर्देशन किया जाना हो तो ऐसे व्यापारियों द्वारा नामनिर्देशन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम तीन कृषि वर्षो के दौरान मण्डी शुल्क के संचयी उच्चतम धनराशि का भुगतान कर दिया गया हो और नाम निर्देशन के दिनांक को उनके विरूद्ध मण्डी समिति का बकाया देय न हो। अधिनियम की धारा-13(1)(ख) के अधीन कम से कम बीस व्यापारियों की उनके मण्डी शुल्क रजिस्टर अथवा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार उक्त मण्डी समिति में उनके द्वारा संदत्त संचयी मण्डी शुल्क मूल्य सहित सूची, अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी तथा ऐसे नाम निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर से सात दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियाँ प्राप्त करने के निमित्त प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति केवल तभी की जा सकेगी यदि वह शपथ पत्र द्वारा अनुसमर्थित हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी हो जिसके पास उक्त मण्डी समिति से व्यापार करने का विधिमान्य लाइसेंस हो। आपत्तियाँ यदि कोई हो, पर विनिश्चय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात अन्तिम सूची तदनुसार प्रकाशित की जायेगी। ऐसी आपत्ति पर विनिश्चय करने के लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहाँ कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता के लिए अभ्यर्थी होने से अस्वीकार करता है वहाँ हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित असहमति, उक्त अधिकारी को सूची का

अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व संसूचित की जायेगी। ऐसी असहमति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए सूची से उसका नाम हटा देगा। प्रपत्र और अन्तिम सूचियॉ इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-दस-ख में तैयार की जायेगी, या

(ज) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाला आढ़तिया हो और उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य लाइसेन्स धारक हो। यदि नामनिर्देशन आढ़तियों में से किया जा रहा हो तो ऐसे आढ़तियों को नाम निर्देशन वर्ष के ठीक अन्तिम तीन कृषि वर्षो के दौरान मण्डी शुल्क की उच्चतम संचयी धनराशि का भुगतान कर दिया गया हो और नामनिर्देशन के दिनांक को मण्डी समिति का उनके विरूद्ध कोई बकाया देय न हों।

अधिनियम की धारा-13(1)(ग) के अधीन कम ये कम बीस आढतियों की उनकी मण्डी शुल्क रजिस्टर अथवा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार उक्त मण्डी समिति में मण्डी शुल्क की संचयी मूल्य सहित सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी तथा उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से सात दिवसों के भीतर लिखित में आपत्तियॉ आमन्त्रित करने के निमित्त प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति केवल तभी की जा सकेगी यदि वह किसी शपथ पत्र से अनुसमर्थित हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसके पास उक्त मण्डी समिति से आढ़तिया हेतु विधिमान्य लाइसेंस हो। आपत्ति, यदि कोई हो, पर विनिश्चय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात अन्तिम सूची, तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी। विनिश्चय करने के लिए ऐसा अधिकारी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है जैसा कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वह उचित समझे। जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता हेतु अभ्यर्थी होने से अस्वीकार करता है वहाँ हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित अस्वीकृति, सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व उक्त अधिकारी को संसूचित की जायेगी। ऐसी अस्वीकृति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए सूची से उसका नाम हटा देगा। प्रपत्र और अन्तिम सूचियाँ, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र दस-ग में तैयार की जायेगी, या

(झ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कार्यरत पल्लेदार या तौलक हो और अधिनियम के अधीन अपेक्षित लाइसेंस धारक हो तथा जो क्रमश: लाइसेंस धारकों, पल्लेदारों या तौलकों द्वारा स्वयं के मध्य से सर्वसम्मति से निर्वाचित हो। किसी विवाद की स्थिति में नामनिर्देशन हेतु नाम पर विनिश्चय, सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष लाटरी निकाल कर किया जायेगा।

(2) समय समय पर यथा संशोधित लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8, 9, 9क और 10 के अधीन उपबन्धित निरर्हतायें, किसी मण्डी समिति के नाम-निर्देशन के लिए भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।

(3) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति की लगातार 05 बैठकों से स्वयं अनुपस्थित रहता है तो वह निरर्हित हो जाएगा और वह समिति का सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक, मण्डी परिषद का यह समाधान हो जाता है कि यथापूर्वोक्त बैठकों से सदस्य के अनुपस्थिति होने का पर्याप्त कारण है तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है और तदोपरान्त इस उपनियम के अधीन अनर्हता प्रभावी न रह जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) यदि जिला कलेक्टर या निदेशक, मण्डी परिषद की रिपोर्ट पर या अन्यथा रूप में राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सदस्य, सभापति या उपसभापति नैतिक अधमता का दोषी है और उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का पर्याप्त आधार है तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य, सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि उसे हटाये जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह और है कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे सुनवाई का अवसर, जिला कलेक्टर या निदेशक, कृषि मण्डी परिषद या किसी अन्य अधिकारी, जिसे वह उचित समझे, के स्तर पर प्रदान किया जाय।

नये नियम-35 का रखा जाना

4. **उक्त नियमावली के अध्याय-तीन में, नियम-36 के पूर्व निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-**

मण्डी समिति के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन

35-(1) रिटर्निंग अधिकारी- जिला, जहां मण्डी समिति का प्रधान मण्डी स्थल विद्यमान हो, का कलेक्टर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उप कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून अधिकारी मण्डी समिति के सभापति और उपसभापति के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग अधिकारी होगा। कलेक्टर द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की सहायता एवं सहयोग करने के लिए तहसीलदार की श्रेणी से अन्यून कम से कम एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी निदेश दे, का प्रयोग करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2)निर्वाचन की घोषणा- जैसे ही मण्डी समितियों के सदस्यों के नामनिर्देशनों की अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी, (ऐसी अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अपश्चात्) वैसे ही कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को पद की शपथ दिलायी जायेगी। कोई मण्डी समिति तब गठित की गयी समझी जायेगी जब कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य अपने पद का शपथ ग्रहण कर लिए हों। राज्य सरकार राज्य में मण्डी समितियों के सभापित एवं उपसभापति के निर्वाचन का दिनांक अधिसूचना प्रकाशित करके नियत कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि सामान्यत: राज्य सरकार ऐसे निर्वाचनों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिए एक ही दिनांक नियत करेगी किन्तु ऐसे निर्वाचनों हेतु विभिन्न मण्डी समितियों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं जैसा वह उचित समझे।

जैसे ही निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण कर लिया जाता है वैसे ही ऐसे नामांकित सदस्यों, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, की सूची प्रकाशित की जाएगी और मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर और अन्य प्रमुख स्थानों पर चस्पा की जाएगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य, जिन्होंने निर्वाचन की घोषणा के दिनांक को या उसके पूर्व शपथ ग्रहण कर लिया है, निर्वाचक मण्डल के सदस्य समझे जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निर्वाचन का दिनांक, समय व स्थान का प्रकाशन व्यापक रूप से स्थानीय प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में किया जाएगा तथा मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) **सभापति एवं उपसभापति के पद पर निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन-** सभापति एवं उपसभापति के पद पर नामनिर्देशन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र-ग्यारह में दिये गये प्रारूप में दाखिल किया जाएगा।

नामनिर्देशन प्रपत्र, निर्वाचन के दिनांक को पूर्वान्ह 10 बजे से पूर्वान्ह 12 बजे के मध्य रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। नामनिर्देशन प्रपत्र की संवीक्षा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल पश्चात् की जायेगी और नाम निर्देशन उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे से पूर्व वापस लिया जा सकता है।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रदर्शन किया जाना- निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्योशियों के नाम मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से तत्काल प्रदर्शित किये जायेंगे।

(5) **निर्वाचन प्रक्रिया**- सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन, गुप्त मत-पत्र से जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, पिता का नाम व पता तथा फोटो अन्तर्विष्ट होगा, से किया जायेगा और निर्विरोध प्रत्याशी अथवा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया जायेगा। समान होने की दशा में विनिश्चय लाटरी के आधार पर किया जाएगा।

(6) मतदाता के चयन को, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे संसूचित तथा यथा विहित रूप में प्रदत्त उपकरण से ही चिन्हित किया जायेगा।

(7) सभापति एवं उपसभापति के निर्वाचन का संचालन एक साथ और पृथक-पृथक किया जायेगा।

(8) परिणामों की घोषणा- मतदान अपरान्ह 3.00 बजे आरम्भ होकर अपरान्ह 4.00 बजे बन्द हो जायेगा। इसके तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचित सभापति और उपसभापति के नामों की घोषणा, प्रपत्र बारह-क में करेगा तथा तत्पश्चात उन्हें प्रपत्र बारह-ख में प्रमाणपत्र भी सौंपा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। ऐसी घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचित सभापति एवं उपसभापति के नाम कलेक्टर द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से निदेशक, मण्डी परिषद और प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाएगें।

(9) ऐसे निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन याचिका, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर, राजस्व मण्डल के आयुक्त के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

नियम-36 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 36 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
36. पद की शपथ - धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को उनके नाम निर्देशन के पश्चात् यथाशीघ्र कलेक्टर या उसके नाम निर्देशिती द्वारा ऐसे स्थान और समय पर जैसा वह इस प्रयोजन के लिए निश्चित करें, निम्नलिखित रीति से पद की शपथ दिलायी जायेगी।	**36. पद की शपथ -** धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों और सभापति एवं उपसभापति के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामनिर्देशन तथा सभापति एवं उपसभापति के रूप में निर्वाचन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कलेक्टर या उसके नामनिर्देशिती द्वारा निम्नलिखित रूप से उस स्थान, दिनांक व समय, जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ उसके द्वारा नियत किया जाय, पर शपथ दिलायी जायेगी।
शपथ **मै**..................(नाम) शपथ लेता हूँ कि मै विधि द्वारा यथास्थिति "भारत का संविधान" के प्रति विश्वास और निष्ठा रखूँगा और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के उद्देश्यों को पूरा करने में बिना भय या पक्षपात स्नेह या द्वेष के सद्भावनापूर्वक, नियमानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा, अत: ईश्वर मेरी मदद करें। और शपथ दिलाने के पश्चात् यथास्थिति कलेक्टर या उसका मनोनीत व्यक्ति निदेशक	**शपथ** मै..................(नाम) शपथ लेता हूँ कि मै "भारत का संविधान" के प्रति विश्वास और निष्ठा रखूँगा और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सच्ची श्रृद्धा एवं निष्ठा रखूँगा और बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सदभावनापूर्वक नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, अत: ईश्वर मेरी मदद करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	को तत्काल सूचना भेजेगा।	और शपथ दिलाने के पश्चात् यथास्थिति कलेक्टर या उसका नामनिर्देशिती निदेशक को तत्काल सूचना भेजेगा।

अध्याय-चार-क का बढ़ाया जाना

6. **उक्त नियमावली में, अध्याय-चार के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्:-**

अध्याय चार-क

मण्डी उपस्थल की घोषणा, सीधी व निजी मण्डियों के लाइसेंस और सम्बन्धित विषय

मण्डी उपस्थल की घोषणा

58-क (1) यथास्थिति भण्डार गृह, साइलो, शीतगृह या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण क्षमता अन्यून पॉच हजार टन की हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, की अधिनियम की धारा-7क(1) के अधीन प्रपत्र-तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(2) ऐसे आवेदन के लिए शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष दो हजार रूपये और बीस वर्ष के लिए बीस हजार रूपये होगा और पॉच लाख रूपये की प्रतिभूति भी प्रस्तुत करनी होगी।

(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता की जांच करेगा और उसे ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिए सिफारिश कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि आवेदक का मामला, मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने हेतु सिफारिश किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो आवेदक को इस प्रयोजनार्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, गोदाम परिचालाक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्बन्धित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उपस्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर कृषकों से सीधी थोक क्रय की व्यवस्था हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाना/ नवीकरण किया जाना

58-ख (1) कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकरी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हों, जो मुख्य मण्डी स्थल/मण्डी उपस्थल/उपमण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल से बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषत: स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाऐं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने का इच्छुक हो, धारा-7(ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संशाधनों का विवरण, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षो की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

(3) सीधे विपणन के लिए प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रूपये की प्रतिभूति सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रूपये प्रति वर्ष या 10,000 रूपये बीस वर्षो हेतु होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा।

(4)आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।

(5) निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

(6) लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद को देगा।

(7) सीधा क्रय लाइसेंस धारी विक्रेता को क्रय करने के बहत्तर घन्टों के भीतर उत्पाद के मूल्य का भुगतान करेगा।

(8) **लाइसेंस का नवीकरण-**

सीधा क्रय केन्द्र लाइसेंसधारी, लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-15 में निदेशक, कृषि विपणन को प्रस्तुत करेगा और ऐसा अधिकारी आवश्यक पूॅछताछ, जिन्हें वह उचित समझे, करने के पश्चात् कृषकों या उत्पादक-विक्रेताओं से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद क्रय करने हेतु सीधा विपणन केन्द्र का लाइसेंस नवीकृत कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) लाइसेंस नवीकरण का प्रत्येक आवेदन, उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा लाइसेंस नवीकरण के लिए किया गया आवेदन अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अनुसार हो तो आवेदक को तब तक सम्यक रूप से लाइसेंस प्राप्त समझा जाएगा जब तक कि आवेदन से अन्यथा आदेश पारित न किया जाए। जहॉ लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन, देय दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है वहॉ आवेदक द्वारा प्रत्येक क्रमवर्ती तीस दिनों के लिए पॉच सौ रूपये विलम्ब शुल्क संदेय होगा।

(10) यदि सीधा क्रेता, अधिनियम या नियमावली के उपबंधों अथवा लाइसेंस की शर्तो का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस रद्द करने के पूर्व निदेशक, कृषि विपणन लाइसेंसधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(11) निदेशक, कृषि विपणन के आदेश या अन्यथा रूप में व्यथित कोई व्यक्ति प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपील कर सकता है।

निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाना

58-ग (1) अधिनियम की धारा 7-घ और 9 के उपबन्धों के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, निजी मण्डी स्थल स्थापित करने का इच्छुक हो, इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस स्वीकृति हेतु लिखित रूप में निदेशक, कृषि विपणन को प्रपत्र-सोलह में, आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये विवरण के समर्थन में दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(क) निजी मण्डी स्थल लाइसेंसधारी, अवसंरचनात्मक सुविधाओं यथा उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु नीलामी हालों, शेड्स, दुकानों, गोदामों, भण्डारों, कैण्टीन, प्रयोगशाला, सुविधाओं, श्रेणीकरण व पैकेजिंग सुविधाओं, लोडिंग व अनलोडिंग स्थलों, मण्डी दरों का इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकियों, आंतरिक सड़कों, पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं इत्यादि का उपबंध करते हुए स्थल का विकास प्रबंधन एवं नियंत्रण, भूमि की लागत को अपवर्जित करते हुए नीचे यथा विनिर्दिष्ट अन्यून धनराशि के विनिधान से की जायेगी।

(एक) दस करोड़ रूपये, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, वाराणसी, आगरा, ललितपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, शाहजहॉपुर, लखीमपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे नगरों के लिए।

(दो) पॉच करोड़ रूपये अन्य जिला मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों के लिए।

(ख) निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि पर उसका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्पष्ट हक तथा कब्जा होना चाहिए। निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए स्थापना हेतु ऐसी भूमि का विस्तार निम्न से कम न होगा:-

(एक) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में सूचीबद्ध नगरों के नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो हेक्टेयर।

(दो) उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्ध नगरों के नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र के बाहर किन्तु उसका सीमाओं के 08 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र में तीन हेक्टेयर।

(तीन) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में चार हेक्टेयर।

(ग) विद्‌यमान स्थापित प्रधान मण्डी स्थल से पॉच किलोमीटर तथा विद्‌यमान उपमण्डी स्थल या मण्डी उपस्थल से तीन किलोमीटर की परिधि में किसी स्थान पर इस नियम के अधीन कोई निजी मण्डी स्थापित नहीं की जायेगी।

(2) किसी निजी मण्डी स्थल हेतु तीन वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत किये जाने हेतु संदेय लाइसेंस शुल्क नीचे यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा जो निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्‌वारा संदेय होगा:-

(एक) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में सूचीबद्ध नगरों के लिए दो लाख रूपये।

(दो) अन्य स्थानों के लिए एक लाख रूपये।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत/नवीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्‌वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि दस प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क के रूप में कटौती करने के पश्चात् वापस की जा सकती है।

(3) निदेशक, कृषि विपणन प्रपत्र-सोलक-क में अनुरक्षित पंजिका में आवेदन की प्राप्ति का दिनांक अभिलिखित करने की व्यवस्था करेगा और परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। वह सम्बन्धित क्षेत्र के उप निदेशक, प्रशासन/विपणन या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे वह उपयुक्त समझे, से परामर्श करके निजी मण्डी स्थल में ऐसे युक्तियुक्त सुधारों, जिन्हें वह उचित समझे, हेतु सृजित एवं उपबंधित की जाने वाली सुविधाओं के लिए सुझाव दे सकता है।

(4) निदेशक, कृषि विपणन, आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर साठ दिनों के भीतर :

(क) परियोजना प्रारम्भ करने हेतु पूर्ण किये जाने की अवधि, नयी परियोजना होने की स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कर सकता है।

या

(ख) लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञा पत्र जारी करने से अस्वीकार कर सकता है और इसे आवेदक को संसूचित कर देगा।

अग्रतर यह कि इस नियम के अधीन कोई अस्वीकृति पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(5) नई परियोजना के मामले में, आवेदक परियोजना, ऐसे अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण करेगा और यदि आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि में परियोजना पूरा करने में विफल रहता है तो वह निदेशक, कृषि विपणन को अवधि बढ़ाये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आवेदन कर सकता है। निदेशक, कृषि विपणन परियोजना का निरीक्षण करने के पश्चात् अनधिक एक वर्ष के लिए समय बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है। यदि परियोजना बढ़ायी गयी अवधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है तब एक लाख रूपये का शुल्क, एक वर्ष की अवधि या उसके आंशिक भाग के लिए विलम्ब हेतु माफी देने के लिए उद्गृहीत किया जायेगा।

(6) नई परियोजना के मामले में, परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् और आवेदन के समय विद्यमान परियोजनाओं हेतु आवेदक, निदेशक, कृषि विपणन को ऐसे तथ्यों की लिखित सूचना देगा। निदेशक, कृषि विपणन, ऐसा निरीक्षण और जॉच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा-7-घ के अधीन जारी आदेश द्वारा साठ दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन के विनियमन हेतु निजी मण्डी स्थल संबंध में घोषणा करेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् निदेशक, कृषि विपणन अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन, प्रपत्र-16 ख में निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

(8) लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने के पश्चात् सम्बन्धित मण्डी समिति और निदेशक, मण्डी परिषद को तत्काल सूचित करेगा।

(9) कृषि उत्पाद का विपणन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक, निदेशक, कृषि विपणन को एक अप्रतिसंहरणीय और सतत् बैंक प्रत्याभूति या नकदी प्रतिभूति, जैसा कि नीचे उल्लिखित है या ऐसी धनराशि जो पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक व्यापारवर्त के 0.5 प्रतिशत के बराबर है, जो भी अधिक हो, जमा करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(एक) उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्ध नगरों के लिए- पचास लाख।

(दो) अन्य स्थानों के लिए पच्चीस लाख रूपये।

प्रतिबन्ध यह है कि विपणन के प्रथम वर्ष में बैंक प्रत्याभूति या नकद प्रतिभूति वही धनराशि होगी जो उपर्युक्त नियम 58-ग के उप नियम-9 के खण्ड (एक)(दो) में उल्लिखित है।

(10) निजी मण्डी स्थल का लाइसेंसधारी, लाइसेंस नवीकरण हेतु प्रपत्र-सोलह में लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति, जो नये लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति के बराबर हो, के साथ आवेदन, निदेशक, कृषि विपणन को प्रस्तुत करेगा और अपेक्षित अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा निदेशक कृषि विपणन ऐसी जॉच जिन्हें, वह उचित समझे, करने के पश्चात् निजी मण्डी स्थल के लाइसेंस का नवीकरण, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन हेतु कर सकता है।

(11) निदेशक, कृषि विपणन लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आवेदक, जो अधिनियम या नियमावली के अधीन या तो दिवालिया है या अन्यथा रूप में निरर्ह है, को लाइसेंस स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता या उसे नवीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप नियम के अधीन कोई आदेश आवेदक को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाता है।

(12) उपधारा (8) के अधीन स्वीकृत लाइसेंस तीन कृषि वर्षो के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(13) लाइसेंस नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व किया जायेगा।

(14) ऐसे निजी मण्डी स्थल लाइसेंसधारी, यदि वह क्रेता हो, सहित प्रत्येक क्रेता को नियमावली के अनुसार उपयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।

(15) निदेशक, कृषि विपणन, सामान्य आदेश द्वारा लाइसेंस की शर्त स्वरूप व्यापारिक प्रभारों की ऊपरी सीमा नियत करेगा।

(16) ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का पूर्णतः या अंशतः निष्पादन इलेक्ट्रानिक रूप से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धारा 33(ग) के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेंस को निलम्बित या रद्द करने की निदेशक, कृषि विपणन की शक्ति

58-घ (1) धारा 33 घ के अधीन उपबंधों के अध्यधीन यदि प्रयोक्ता प्रभार का अंश, निदेशक, कृषि विपणन के खाते में तीन माह की अवधि के लिए पूर्णतः नहीं जमा है, तो निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निजी मण्डी स्थल का लाइसेंस निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है।

उपयोक्ता प्रभार के अंश का भुगतान प्रत्येक माह के 15 दिनांक को किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से उस पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

(2) लाइसेंस की अस्वीकृति रद्दकरण या निलम्बन की सूचना- यथास्थिति लाइसेंस की अस्वीकृति या रद्दकरण या निलम्बन की सूचना, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को नीचे यथा उपबंधित रीति से दी जायेगी-

(क) ऐसे आदेश की प्रति उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त या निविदत्त करके, या

(ख) उसे रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजकर,

(ग) ऐसा आदेश सम्बन्धित व्यक्ति को, उसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किये जाने या राजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित किये जाने या उसके द्वारा उसकी प्राप्ति अस्वीकृति किये जाने के दिनांक को संसूचित किया गया समझा जायेगा।

(3) लाइसेंस जारी करने/नवीकृत करने से अस्वीकार किया जाना - निदेशक, कृषि विपणन लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है।

(4) निदेशक, कृषि विपणन के आदेश अथवा अन्यथा रूप में क्षुब्ध कोई व्यक्ति प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपील कर सकता है।

नियम 76-ख का बढ़ाया जाना ई-व्यापारकरण

7. उक्त नियमावली में, नियम-76क के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा अर्थातः-

76-ख. (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अनुसार ई-व्यापारकरण विधिक होगा और व्यापार का विधिमान्य तरीका होगा।

(2) इस नियमावली के अधीन किसी समिति द्वारा अनुरक्षित तथा प्रयुक्त कोई पंजी या पुस्तिका का अनुरक्षण तथा प्रयोग, इलेक्ट्रांनिक प्लेटफार्म पर या डिजिटल प्रारूप में किया जा सकता है।

(3) इस नियमावली के अधीन परिभाषित किसी प्रारूप का अनुरक्षण इलेक्ट्रांनिक या डिजिटल रूप से पूर्णतः या आंशिक रूप में किया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-103 तथा 104 का संशोधन

8. **उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 103 तथा 104 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेगें, अर्थात :-**

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
103. वार्षिक प्रतिवेदन तथा पक्का चिट्ठा - धारा 40(2)(13) देखिए) - प्रत्येक कृषि वर्ष की समाप्ति पर, समिति एक वार्षिक पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में जो उसकी उपविधियों में निर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगी और एक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक उक्त पक्का चिट्ठा तथा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपियॉ निदेशक को प्रस्तुत करेगी।	**103. वार्षिक प्रतिवेदन तथा तुलनपत्र- धारा 40(2)(तेरह)** - प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, समिति अपनी उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वार्षिक तुलन पत्र तैयार करेगी और एक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक उक्त तुलन पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियॉ निदेशक को प्रस्तुत करेगी।
104. लेखा उनकी लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण- (धारा 40(2) (12) तथा 16(2)(9) देखिए- (1) मण्डी समिति के लेखे पुस्तक-पालन (बुक कीपिंग) की एकल प्रविष्टि प्रणाली में कृषि वर्ष के अनुसार रखें और संधारित किए जाएंगें और अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड(9) के अधीन लेखा परीक्षा कराई जाएगी।	**104. लेखा, उनकी लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण-** (धारा 40(2)(नौ) तथा धारा 40(2) (बारह) -(1) मण्डी समिति की लेखाएं, दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता रखने की प्रणाली के आधार पर वित्तीय वर्ष के अनुसार रखी तथा अनुरक्षित की जायेंगी और वे अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अधीन लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगी।
(2) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी।	(2) समिति के लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवर्ष महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के परीक्षक तथा लेखा-परीक्षक द्वारा की जायेगी।
(5) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा के पश्चात् दो भागों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा। भाग-1 में आपत्ति विवरण-पत्र जिसमें प्राविधिक अनियमितताएं होगें और भाग 2 में लेखा परीक्षा टिप्पणी होगी, जिसमें ऐसे सामान्य और महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर मण्डी समिति का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित हो और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उक्त प्रतिवेदन में से प्रत्येक की एक-एक प्रतिलिपि मण्डी समिति तथा निदेशक, को प्रस्तुत करेगा।	(5) महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का परीक्षक, तथा लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा के पश्चात् दो भागों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा। भाग 1 में प्राविधिक अनियमितताओं को व्यवहृत करने वाला आपत्ति, विवरण-पत्र होगा और भाग-2 में मण्डी समिति के विशिष्ट ध्यानाकर्षण की अपेक्षा वाले सामान्य और महत्वपूर्ण मामलों को व्यवहरित करने वाली लेखा परीक्षा टिप्पणी होगी। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का परीक्षक/लेखा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की एक यथा विधि प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें समिति के अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का और प्रत्येक प्रश्न पर समिति की टीका तथा निर्णय का उल्लेख होगा, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर स्थानीय विधि परीक्षक तथा निदेशक को भेजी जाएगी।	परीक्षक उक्त प्रतिवेदनों की प्रत्येक की एक प्रति, मण्डी समिति तथा निदेशक को उपलब्ध करायेगा। (8) समिति के अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही को दर्शने वाले लेखा परीक्षक, प्रतिवेदन का सम्यक रूप में अधिप्रमाणित अनुपालन और प्रत्येक बिन्दु पर समिति की टिप्पणियां एवं विनिश्चय, महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के परीक्षक/लेखा परीक्षक को तथा निदेशक को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के दिनांक के नब्बे दिनों के भीतर प्रेषित किये जायेगें।

नियम-137 का संशोधन

9 **उक्त नियमावली में, नियम 137 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये, उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-**

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
137-(1) ऐसी नई प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पॉच करोड या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के पक्ष में रू0- 20,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।	137- (1) ऐसी नव स्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत, पॉच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथा विनिर्दिष्ट समस्त सुसंगत दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव के पक्ष में 20,000 रूपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ सम्बन्धित मण्डलायुक्त को आवेदन कर सकती है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन-पत्र को सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हेतु अग्रसारित कर देगा। प्रतिबन्ध यह है कि नवस्थापित प्रसंस्करण इकाई, जो मण्डी शुल्क से छूट अथवा कमी की इच्छुक हो, अपनी स्थापना के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मण्डी शुल्क से छूट, प्लांट और मशीनरी की लागत से अधिक नहीं होगी।

प्रपत्र एक, दो, तीन, चार और चार-क का निकाला जाना | 10 | **उक्त नियमावली में, प्रपत्र संख्या- एक, दो, तीन, चार ओर चार-क निकाल दिये जायेंगे ।**

नियमावली में नये प्रपत्रों का बढ़ाया जाना | 11 | **उक्त नियमावली में, प्रपत्र 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे:-**

प्रपत्र-दस-क

(नियम 5(1)(च))

क्रम. सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा धारित कुल भूमि का क्षेत्रफल	विगत तीन कृषि वर्षो में प्रपत्र-6 पर विक्रीत संचयी मूल्य			
					वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-दस-ख

(नियम 5(1)(छ))

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षो में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-दस-ग

(नियम 5(1)(ज))

क्रम. सं0	आढ़तिया का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षो में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-ग्यारह

(नियम 35 तीन देखें)

नाम निर्देशन पत्र

मण्डी समिति के सभापित/उपसभापति पद का निर्वाचन

टिकट के आकार का नवीनतम 2सेमी×2.5सेमी का छायाचित्र

(नीचे भाग एक या भाग दो में जो लागू न हो उसे काट दें)

भाग-एक

मै मण्डी समिति..................................जिला.....................................से सभापति/उपसभापति पद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशित करता हूॅ। प्रत्याशी का नाम.............................. पिता/माता/पति का नाम.. उसका डाक का पता...उसका नाम सभा निवार्चन क्षेत्र के लिए (विधान सभा निवार्चन क्षेत्र में सम्मिलित) निर्वाचक नामावली के भाग सं0.................................के क्र0सं0 ....पर प्रविष्टि और वह उपरिलिखित मण्डी समिति का एक सदस्य है।

दिनांक.................. **प्रस्तावक का हस्ताक्षर....................**

भाग-दो

मै, भाग एक में उल्लिखित प्रत्याशी (जो लागू न हो उसे काट दें) इस नाम निर्देशन हेतु सहमति देता हूॅ और एतद्द्वारा घोषणा करता हूॅ -

(क) यह कि मै भारत का नागरिक हूॅ और मैने किसी विदेशी राज्य/राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है।

(ख) यह कि मैने ....वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

(ग) यह कि मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ठीक वर्तनी में ....है, (भाषा का नाम)

(घ) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मै मण्डी समिति ....…जिला.................के सभापति/उपसभापति के रूप में निर्वाचित किये जाने हेतु अर्ह हूॅ और निरर्हित भी नहीं हूॅ।

दिनांक.....................

प्रत्याशी का हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भाग-तीन

(1) क्या प्रत्याशी -

(एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1951) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किन्हीं अपराध(अपराधों) का, या उसकी उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि का उल्लंघन करने के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है, (हॉ/नहीं)या

(दो) किसी ऐसे अपराध/अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसके लिए उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास दिया गया हो।

यदि उत्तर 'हॉ' है तो प्रत्याशी निम्नलिखित सूचनाए देगा :

(क) मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं

(ख) पुलिस थाना..............जिला.......................राज्य.................धारा/(धाराएं)................

(ग) सम्बन्धित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे दोष सिद्ध किया गया है...

(घ) दोष सिद्ध का/के दिनांक..

(ङ.) न्यायालय जिसने अभ्यर्थी को दोष सिद्ध किया है.................................

(च) अधिरोपित दण्ड (कारावास की अवधि और/जुर्माने की मात्रा इंगित करें)...............

(छ) कारावास से अवमुक्त होने का दिनांक......................................

(ज) क्या उपरोक्त दोष सिद्ध के विरूद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण दाखिल किया गया था......(हॉ/नहीं)

(झ) दाखिल किये गये पुनरीक्षण हेतु अपील(अपीलों) हेतु आवेदन(आवेदनों) का दिनांक और विवरण..................................

(ञ) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष पुनरीक्षण हेतु अपील/आवेदन दाखिल किया गया है..........

(ट) क्या पुनरीक्षण हेतु उक्त अपील/आवेदन निस्तारित कर दिया गया है या लम्बित है..............

(ठ) यदि पुनरीक्षण हेतु उक्त अपील/आवेदन निस्तारित कर दिया गया है

(क) निस्तारण का दिनांक..............................

(ख) पारित किये गए आदेश की प्रकृति..................................

(2) क्या प्रत्याशी भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी मण्डी समिति के अधीन लाभ का कोई पद धारित करता है..................................(हॉ/नहीं)

यदि हॉ, पद धारण का ब्यौरा...................................

(3) क्या प्रत्याशी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है........................(हॉ/नहीं)

यदि हॉ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है................................

(4) क्या प्रत्याशी किसी विदेशी राष्ट्र के लिए निष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है............(हॉ/नहीं)

यदि हॉ तो ब्यौरा दें..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) क्या प्रत्याशी उक्त अधिनियम की धारा 8-क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश से निरर्हित हो चुका है ....(हॉ/नहीं)
यदि हॉ, तो अवधि, जिसके लिए निरर्हित किया गया है..................................

(6) क्या प्रत्याशी जब भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारित कर रहा था तब भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए पदच्युत किया गया था ....(हॉ/नहीं)
यदि हॉ तो ऐसे पदच्युति का दिनांक...

(7) क्या प्रत्याशी द्वारा सरकार से कोई विद्यमान संविदा या सरकार द्वारा वचनबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु व्यक्तिगत सामर्थ्य या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा की है जिसमें प्रत्याशी सरकार को किसी माल के संदाय के लिए अंशधारक रहा है.................................(हॉ/नहीं)
यदि हॉ किसी सरकार के साथ और विद्यमान संविदा का ब्यौरा............

(8) क्या प्रत्याशी प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्धक या किसी कम्पनी या निगम (सहकारी समिति से भिन्न) का सचिव जिसकी पूँजी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम अंश न हो....................... (हॉ/नहीं)

(9) क्या प्रत्याशी को उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है ....(हॉ/नहीं)
यदि हॉ तो निरर्हता का दिनांक..

स्थान.............................

दिनांक.............................   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग-चार

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या...

यह नाम निर्देशन मेरे कार्यालय पर मुझे ....(समय) को..................(दिनांक) को प्रत्याशी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया। (प्रस्तावक का नाम..........................)

दिनांक..   रिटर्निंग अधिकारी

भाग-पॉच

रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय या नामनिर्देशन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति

इस नामनिर्देशन पत्र का मैनें सुसंगत नियमों के अनुसार परीक्षण कर लिया है।

....

....

....

....

दिनांक..............................   रिटर्निंग अधिकारी

....................................(छेदों की कतार)..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बारह-क

(नियम 35 आठ देखें)

(मण्डी समिति........................... जिला....................... की मण्डी समिति का सभापति/उपसभापति निर्वाचित किये जाने की घोषणा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री..................................निवासी.. को मण्डी समिति..जिला..................................का सभापति/उपसभापति निर्वाचित घोषित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी

सभापति/उपसभापति निर्वाचन हेतु

मण्डी समिति..............................

जिला...

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बारह-ख

(नियम 35 आठ देखें)

मण्डी समिति.......................... जिला.......................के निर्वाचित सभापति/उपसभापति का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री...................................निवासी... को मण्डी समिति..जिला..................................का सभापति/उपसभापति निर्वाचित घोषित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी

सभापति/उपसभापति निर्वाचन हेतु

मण्डी समिति..............................

जिला...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-तेरह

(नियम 58 क देखें)

मण्डी उपस्थल की घोषणा हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक, कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम.............................(नाम (पिता का नाम/पति का नाम), पता).. मण्डी उपस्थल की घोषणा हेतु इस आवेदन में यथा उपाबंध ब्यौरों सहित आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे है। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न है। मैं/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवश्यक शुल्क रूपये------------- और प्रतिभूति रूपये--------------- संदाय करने के लिये तैयार और इच्छुक हूँ/हैं।

मैं/हम आपसे उपरोक्तानुसार घोषणा की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ/ करते है।

आपका शुभेच्छु

स्थान................

दिनांक...............

आवेदक....................
नाम.........................
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज-

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।
(2) प्रस्तावित मण्डी उपस्थल का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और परिचालन तथा कार्य करने का दिश निर्देश।(यथा प्रयोज्य)
(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों और भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (यदि कोई अनुवर्ती परिवर्तन हो तो वे तत्काल इसकी सूचना देगें)
(4) विस्तृत अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट/मण्डी उपस्थल योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित, लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिये आशयित अवसंरचना का ब्यौरा
(लागत के समर्थन में प्रमाण भी संलग्न किया जाये)

क्रम सं0	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1		
2		
3		
4		
5		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सहायक दस्तावेजों यथा-बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, परिसम्पत्ति तथा देयता विवरण और मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाण-पत्र सहित आवेदक की वित्तीय स्थिति।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र इत्यादि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण-पत्र।

(7) शुल्क जमा किये जाने के समर्थन मे संदत्त बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा-निर्देश कि कैसे मण्डी उपस्थल संचालित, नियंत्रित तथा प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है, वचन-पत्र और शपथ-पत्र के संबंध में आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों का पालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें समस्त देयकों की वसूली सम्मिलित है।

(10) मण्डी के उपयोगकर्ताओं हेतु भोजन व्यवस्था एवं ठहरने की सुविधा हेतु परिव्यय चिन्हित किया जाएगा। ऐसे उत्पाद के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अवधारण हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं, स्वच्छता एवं आरोग्य सम्बन्धी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(11) आवेदक मण्डी उपस्थल में विपणन हेतु आशयित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक....................

नाम...........................

मुहर

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-चौदह

(नियम 58-ख(एक) देखें)

(थोक सीधा क्रय के लिये लाइसेंस और नवीकरण हेतु आवेदन)

सेवा में,

निदेशक, कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम...................................(नाम, (पिता का नाम सहित), (पता) .... एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 7ख, 33घ के अधीन थोक सीधा क्रय लाइसेंस स्वीकृत किये जाने/नवीकृत किये जाने लिये अनुरोध करता हूॅ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न है। मैं/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस शुल्क रूपये------------- और प्रतिभूति रूपये--------------- की धनराशि का संदाय करने के लिए तैयार और इच्छुक हूॅ/हैं।

मैं/हम आपसे लाइसेंस की स्वीकृत/नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूॅ/ करते है।

आपका शुभेच्छु

स्थान.................

दिनांक................

आवेदक.....................
नाम..........................
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।
(2) प्रस्तावित थोक सीधा क्रय लाइसेंस का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और परिचालन तथा कार्य करने का दिशा निर्देश (यथाप्रयोज्य)।
(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों और भागीदारों आदि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (यदि कोई अनुवर्ती परिवर्तन हो तो वे तत्काल इसकी सूचना देगें)।
(4) विस्तृत अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट, मण्डी उपस्थल योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित, लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिये आशयित अवसंरचना का ब्यौरा (लागत के समर्थन में प्रमाण भी संलग्न किया जाये)

क्रम0 सं0	सीधा क्रय केन्द्र की चौहद्दी और पता	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1			
2			
3			
4			
5			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सहायक दस्तावेजों यथा-बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण-पत्र।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भूमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र इत्यादि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण-पत्र।

(7) लाइसेंस शुल्क का संदाय पर दिये जाने के समर्थन में बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा निर्देश कि कैसे सीधा थोक, क्रय लाइसेंस, संचालित, नियंत्रित प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रतिभूति जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है, वचन-पत्र और शपथ-पत्र जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली समस्त उपबंधों द्वारा अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेंस का रद्दकरण और समस्त देयकों की वसूली सम्मिलित है।

(10) आवेदक, सीधा थोक क्रय लाइसेंस में क्रय करने हेतु आशयित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(11) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक...................

नाम...........................

मुहर

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-चौदह-क

(नियम 58-ख(पॉच) देखें)

(सीधा थोक क्रय के लिये लाइसेंस)

एतद्द्वारा मेसर्स..को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री.................पुत्र श्री ....के माध्यम से सीधा थोक क्रय की स्थापना/उसके कृत्य के लिए दिनांक.................................से ....तक की अवधि के लिए लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है।

सीधा थोक क्रय केन्द्र की चौहद्दी निम्नलिखित होगी-

(1) पूर्व -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

(2) पूर्व -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

निदेशक,
कृषि विपणन,
मुहर

शर्तें:-

(1) लाइसेंसधारी निदेशक, कृषि विपणन को अथवा उसके द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित रूप में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेगा।

(2) सीधा थोक क्रय केन्द्र द्वारा राज्य की भिन्न-भिन्न ऐजेन्सियों/विभागों की विधि के अनुसार समस्त कर, शुल्क, उपकर तथा प्रभार संदेय होंगे।

(3) निदेशक, कृषि विपणन, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-सोलह

(नियम 58-ग(1)/58-ग(11) देखें)

(निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन)

सेवा में,

निदेशक, कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम..................................(नाम, पिता का नाम सहित), पता .... एतदद्वारा निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु ब्यौरा अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों की अपेक्षानुसार आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न है। मैं/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस शुल्क रूपये------------ और प्रतिभूति रूपये-------------- का संदाय करने के लिये तैयार और इच्छुक हूँ/हैं।
मैं/हम आपसे लाइसेंस की स्वीकृत/नवीकृत हेतु अनुरोध करता हूँ/ करते हैं।

आपका शुभेच्छु

स्थान................
दिनांक...............

आवेदक....................
नाम.........................
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)
इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज-

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।
(2) प्रस्तावित निजी मण्डी स्थल का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा-निर्देश (यथा प्रयोज्य)।
(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों तथा भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता तथा दूरभाष संख्या (वे तत्काल अनुवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो, सूचित करेंगे)।
(4) अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/निजी मण्डी स्थल की योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिये आशयित अवसंरचना का ब्यौरा (लागत के समर्थन में प्रमाण भी संलग्न किया जाये)-

क्रम0 सं0	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1		
2		
3		
4		
5		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सहायक दस्तावेजों यथा-बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण-पत्र।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल, हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भूमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र इत्यादि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण-पत्र।

(7) लाइसेंस शुल्क का संदाय कर दिये जाने के समर्थन में बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा निर्देश कि कैसे निजी मण्डी स्थल, संचालित, नियंत्रित एवं प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है, वचन-पत्र और शपथ-पत्र, जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों द्वारा अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेंस का रद्दकरण और समस्त देयकों की वसूली सम्मिलित है।

(10) मण्डी के उपयोगकर्ताओं हेतु भोजन व्यवस्था एवं ठहरने की सुविधा हेतु परिव्यय चिन्हित किया जाएगा। ऐसे उत्पाद के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अवधारण हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं, स्वच्छता एवं आरोग्य सम्बन्धी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(11) आवेदक, मण्डी उपस्थल में विपणन हेतु आशयित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक....................
नाम..........................
मुहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-सोलह-क

(नियम58(ग)(3) देखें)

<u>(निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए लाइसेंसधारकों का रजिस्टर)</u>

क्रम. सं.	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्ति का दिनांक	मण्डी क्षेत्र	लाईसेन्स शुल्क	लाईसेन्स संख्या और दिनांक	लाईसेन्स अवधि	अभ्युक्ति और हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-सोलह-ख

(नियम58(ग)(7) देखें)

(निजी मण्डी स्थल के लिए लाइसेंस)

एतद्द्वारा मेसर्स..को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री..................पुत्र श्री ....के माध्यम से निजी मण्डी स्थल की स्थापना/उसके कृत्य के लिये दिनांक.................................से ....तक की अवधि के लिए लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है।

निजी मण्डी स्थल की चौहद्दी निम्नलिखित होगी-

पूर्व -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

निदेशक,
कृषि विपणन,
मुहर

शर्तें:-

(1) लाइसेंसधारी, निदेशक, कृषि विपणन को अथवा उसके द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित रूप में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेगा।

(2) निजी मण्डी पणधारक क्षेत्र में उपबंधित की जाने वाली नियमावली और विधियों का अनुपालन करेंगे।

(3) जिनी मण्डी लाइसेंसधारी द्वारा राज्य की विभिन्न अभिकरणों/विभागों की विधि के अनुसार समस्त कर, शुल्क, उपकर प्रभार संदेय होंगे।

(4) निदेशक, कृषि विपणन कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-07/2019/2485(1)/80-1-2018तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 07 फरवरी, 2019 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन को भेजने का कष्ट करें।
2- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।